रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2647] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937
No. 2647] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3333(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

जहाँ डेब्रिगढ वन्यजीव अभयारण यथास्थान संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थल है जो की अत्यधिक जैव-विवधता से भरा है जिसमें स्तनधारियों की 40 प्रजाति 234 प्रजाति की चिंडियाँ, सरीसृप 41 प्रजाति, उभयचरों की 12 प्रजाति, मछलियों कि 42 प्रजाति, उडोनाट्स कि 39 प्रजाति तितलियों कि 85 प्रजाति, मकडी कि 38 प्रजाति तथा राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में, जनसंख्या के कारण-1 कि प्रजातियाँ जैसे तेदुआ, भारतीय गौर, चार सींग वाले मृग:

और जहाँ, अभयारण पूर्व और उत्तर में मानव निर्मित हिराकुण्ड जलाशयों से सीमांकित है अत: राज्य के कुछ चयनित जलाशयों में से एक जलाशय का निर्माण करना है जो दोनों स्थलीय एवं जलीय जैव-विविधिता की मदद करता है जो कि शीतकाल में पानी के परिवासी पक्षियों की महत्वपूर्ण संख्या को आकृष्ट करता है और यह वन्यजीव अभयारण 250 से भी अधिक की वनस्पतियों प्रजातियों का गृह है जिसमें बहुत सी इथनो–बोटिनिकल और औषधीय मूल्य की है ।

और, उक्त पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, जो इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट विस्तार और सीमाओं के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) ओडिसा राज्य के डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 5 किलोमीटर सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 5 किलोमीटर तक है । पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 34690 हेक्टेयर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 78 ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के अक्षांश और देशान्तर निर्देशांक के साथ **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ; और

(viii) ओडिसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 23, 27, 30, और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iii) वर्षा जल संचय, और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना के भाग रूप में रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, ओडिसा सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, ओडिसा सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास सुविधा के सिवाय डेब्रिगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की चौहद्दी से एक किलोमीटर के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे :

परंतु यह और भी कि संरक्षित क्षेत्रों की चौहद्दी से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसार्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जायेगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और, वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा आंचलिक महायोजना के तैयार होने अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मिलों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	पर्यटन से संबंधित जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
(9)	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(10)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की चौहद्दी के एक किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे तथापि एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के समरूप और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गनिर्देश में किए जाएंगे ।
(11)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(12)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(13)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।
(14)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों, संनिर्माण	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	वायु (जिसमें ध्वनी भी सम्मिलित है) और यानिक प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	उपचारित बहिर्स्राव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, पुष्प कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात होंगे।
(24)	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ)	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	सुरक्षा बलों के कैंप	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	नए काष्ठ आधारित उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा।
(27)	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	संनिर्माण क्रियाकलापों	(क) किसी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की चौहद्दी से

		एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह भी कि स्थानीय लोग पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने आवासीय प्रयोग के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण किए जाने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे: परंतु यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले वाले लघु उद्योग से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई है, तो सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा विनियमित किए जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सदभावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा । अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप को आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे
ग. अनुमति प्राप्त क्रियाकलाप :		
(29)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला डेयरी उद्योग और मछली पालन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(31)	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(33)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(34)	वानस्पतिक बाड़	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) कलेक्टर जिला बरग्रह, ओडिसा सरकार - अध्यक्ष ;

(ख) पुलिस अधीक्षक, जिला बरग्रह – सदस्य ;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे ओडिसा सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(घ) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे ओडिसा सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(ङ) प्रखंड वन अधिकारी, बरग्रह खंड – सदस्य

(च) क्षेत्रीय अधिकारी, ओडिसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य ; और

(छ) प्रखंड वन अधिकारी, हीराकुंड वन्य जीव खंड – सदस्य सचिव ;

निर्देश निबंधन

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और, वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबधित उप-आयुक्त (एस) कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/39/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी चांदनी , वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिक संवेदी जोन की चौहद्दी का वर्णन ।

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा हिराकुंड डेम की दाई नहर से प्रारंभ होकर डेब्रिगढ़ अभयारण्य के प्रवेश बिंदु धोद्रकुसुम तक की दूरी 10 किलोमीटर के आसपास है (01=नहर सड़क) पर 1 यह तत्पश्चात उत्तरी दिशा में जलाशय में 5.0 किलोमीटर की दूरी के आसपास अग्रसर होती है (02=नेहरु मीनार से लगभग 3.5 किलोमीटर तक 295^0 उत्तर पूर्व दिशा में स्थित के आसपास) इसके अतिरिक्त 330^0 उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 3.25 किलोमीटर (03=जलाशयो में) और की दूरी आसपास और इसके बाद उत्तर दिशा में 2.75 किलोमीटर

(04=जलाशयों में) के आसपास और इसके बाद 330^0 उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जलाशयो में 4.25 किलोमीटर (05=समुद्र में) के आसपास अग्रसर होती है।

इसके अतिरिक्त हिराकुंड जलाशय 335^0 के आसपास उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 9.5 किलोमीटर की दूरी के आसपास रामपलुगा ग्राम का ग्रामीण क्षेत्र जलाशय का अन्य तट छूता हुआ फैला है। (06=जिला - झारसुगुडा में) और तत्पश्चात सागरपाली ग्रामीण क्षेत्र के निकट जलाशय छुता हुआ,320^0 उत्तर पश्चिम दिशा 7.25 किलोमीटर की दूरी के आसपास (07= जलाशय में) और तत्पश्चात 290^0 उत्तर पश्चिम दिशा में 5.0 किलोमीटर के आसपास (08= जलाशय में) और इसके बाद झारसुगुडा में जलाशय तट जहाँ 320^0 उत्तर पश्चिम दिशा में 2.5 किलोमीटर के आसपास अग्रसर होती है । (09= जलाशय के तट पर) जलाशय तट के समांन्तर इसके अतिरिक्त पलसाडा ग्रामीण क्षेत्र 290^0 के आसपास उत्तर पश्चिम दिशा में 2.5 किलोमीटर के आसपास (10= जिला – झारसुगुडा का पलसाडा ग्राम), कपिलपुर ग्रामीण क्षेत्र 250^0 के आसपास दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 4.0 किलोमीटर के आसपास पहुँचकर अग्रसर होती है (11= जिला – झारसुगुडा का कपिलपुर ग्राम),1 वहाँ से जलाशय का पार करके 210^0 के आसपास दक्षिण पश्चिम दिशा में 3.0किलोमीटर के आसपास और डुगरी क्षेत्र में पहुचती है। (12= जिला – बारगढ़ का डुगरी क्षेत्र), इसके बाद 185^0 के आसपास और जलाशयों क्षेत्र के पार महानदी के तट पहुँचकर (13= महानदी नदी के तट), 150^0 के आसपास दक्षिण पूर्व दिशा में 2.0किलोमीटर के आसपास डुंगरी के निकट सोनतीआमल ग्राम पहुँचकर (14= सोनतीआमल ग्राम), और इसके बाद 200^0 के दक्षिण पश्चिम दिशा में 4.25किलोमीटर के आसपास बडमाल ग्राम के निकट चाँदी देवी मंन्दिर के समांन्तर पहुँचकर डुंगरी खान की मीटर ग्रेज रेल लाइन की रेखा अग्रसर होती है (15= चाँदी देवी मंन्दिर,बड़माल ग्राम), तत्पश्चात यह प्रेरित होकर 220^0 के आसपास दक्षिण पश्चिम दिशा में 2.25किलोमीटर के आसपास डेचउ रिजर्व वन के निकट डुंगरी खान की मीटर गेजरेल लाइन के समान्तर पहुँचती है(16= डेचउ रिजर्व वन के निकट),और इसके बाद डेचउ रिजर्व वन 190^0 के आसपास दक्षिण पश्चिम दिशा में 1.5किलोमीटर के आसपास और बनजीपली ग्राम क्षेत्र पहुँचकर (17=बनजीपली ग्राम के निकट),और तत्पश्चात 250^0 दक्षिण पश्चिम दिशा में 3.75किलोमीटर डुंगरी खान की मीटर ग्रेज रेल लाइन के निकट अग्रसर होती है। (18= मीटर ग्रेज रेल लाइन), फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 240^0 के आसपास संकारा ग्राम की दूरी 3.0 किलोमीटर के आसपास पहुँचकर अग्रसर होती है।(19= संकारा ग्राम), तत्पश्चात 200^0 के आसपास 3.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी फैल कर और अम्बा भोना ग्राम क्षेत्र पहुँचती है (20=अम्बा भोना ग्राम) इसके अतिरिक्त खारपराखोल ग्रामीण क्षेत्र के लिए 3.25 किलोमीटर के आसपास (21= खारपराखोल ग्राम) पार-गमन करके 170^0 के आसपास दक्षिण पूर्व दिशा और खारपराखोल ग्राम से पोनडकीपली ग्राम के बाद 3.75 किलोमीटर के आसपास पहुँचती है (22= पोनडकीपली ग्राम) समरुप दक्षिण पूर्व दिशा के समांन्तर यह 130^0 के आसपास 4.25 किलोमीटर के आसपास और केलेनडापल ग्राम पहुँचकर अग्रसर होती है (23= केलेनडापल ग्राम)इसके बाद यह 100^0 के आसपास 7.0 किलोमीटर के आसपास और मुलबर के निकट बडमाल ग्राम पहुँचकर अग्रसर होती है (24=बडमाल ग्राम) इसके बाद यह 150^0 के आसपास 6.5 किलोमीटर के आसपास और तेजगोला ग्राम के निकट पहुँचती है (25=तेजगोला ग्राम) वहाँ से, यह 120^0 के आसपास 2.75 किलोमीटर के आसपास और बारगढ मुख्य कैनल के तट पहुँच जाती है (26= बारगढ मुख्य कैनल) इसके बाद यह 90^0 के आसपास दिशा बदलकर पूर्व और 5.0 में किलोमीटर के आसपास बढ़ती हुयी और बांदा ग्रामीण क्षेत्र पहुँचकर(27= बांदा ग्राम) और 40^0 के आसपास उत्तर पूर्व दिशा में 3.5 किलोमीटर के आसपास और बारगढ़ मुख्य कैनल सड़क के खारमुडा चौक पहुँचती है (28= खारमुडा चौक)

इसके अतिरिक्त, 95^0 के आसपास पूर्व दिशा में और बंहर ग्राम के निकट बाद 8.25 किलोमीटर के आसपास पहुँचकर रेखा मुडती है (29= बंहर ग्राम) इसके बाद, यह 60^{0}के आसपास और सीलत ग्राम के निकट 3.5 किलोमीटर के आसपास पहुँच जाती है (30= सीलत ग्राम) अतत: 20^0 के आसपास उत्तर पूर्व दिशा में 3.5 किलोमीटर की दूरी के आसपास जाती है हिराकुंड डैम की दाई नहर के प्रारंभिक बिंदु की रेखा पर पहुँच जाती है(01= नहर सड़क पर)।

उपाबंध II

डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य , ओडिसा की पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की चौहद्दी का मानचित्र

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Debrigarh Wildlife Sanctuary, Odisha.

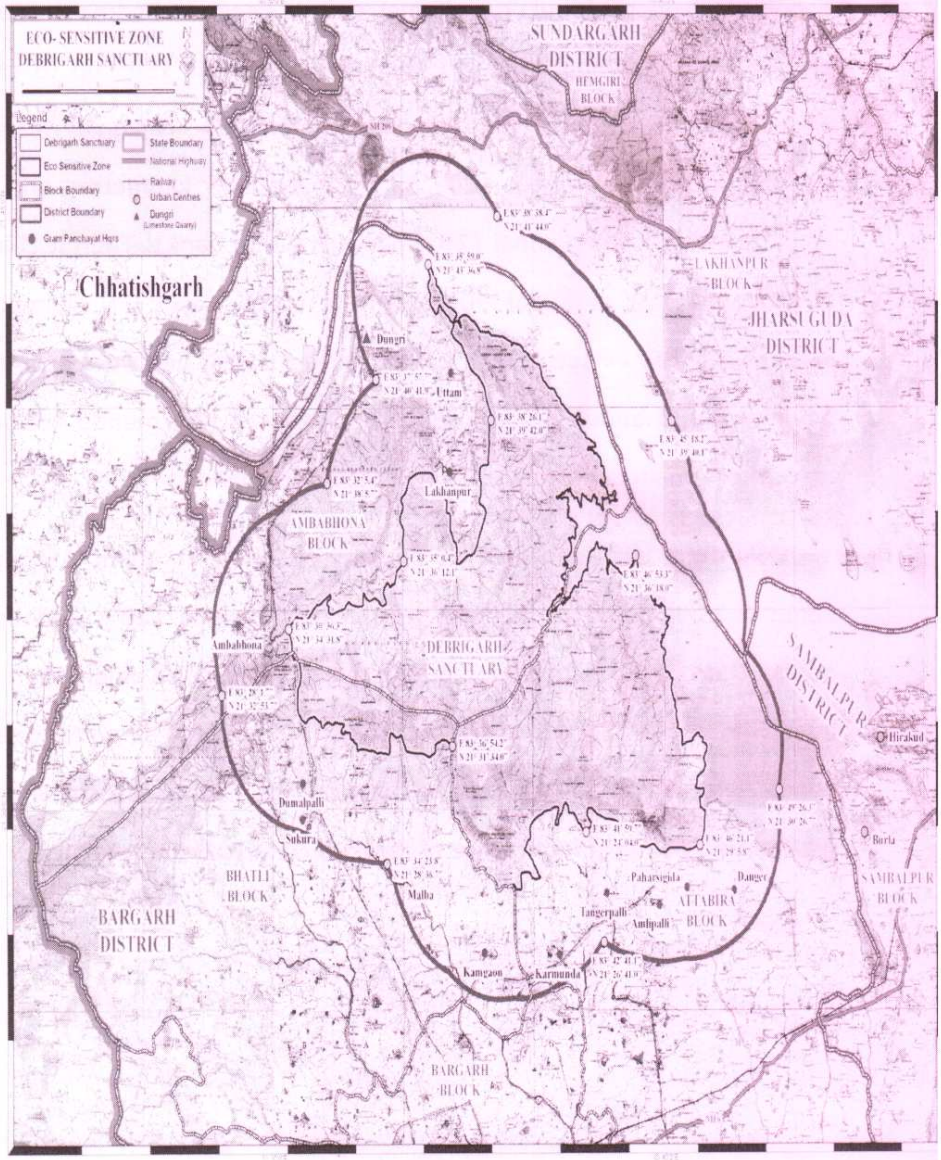

22

उपाबंध III

डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य , ओडिसा की प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र सं	जिला	खंड	जी .पी	ग्राम	देशान्तर (डी.एम.एस)	अक्षांश (डी.एम.एस)
1	बारगढ	अम्बाभोना	अम्बाभोना	अम्बाभोना	83° 28' 28.02" पू	21° 34' 41.69" उ
2	बारगढ	अम्बाभोना	अम्बाभोना	गंगई	83° 29' 28.12" पू	21° 34' 22.64" उ
3	बारगढ	अम्बाभोना	अम्बाभोना	खालियाभहल	83° 31' 49.51" पू	21° 35' 16.23" उ
4	बारगढ	अम्बाभोना	अम्बाभोना	मुडकाटी	83° 30' 52.69" पू	21° 34' 57.72" उ
5	बारगढ	अम्बाभोना	अम्बाभोना	सथारा	83° 32' 35.14" पू	21° 35' 23.63" उ
6	बारगढ	अम्बाभोना	अम्बाभोना	डेचउँ	83° 33' 15.65" पू	21° 37' 37.06" उ
7	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	अलेखपुर	83° 36' 51.97" पू	21° 37' 34.70" उ
8	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	बबेबीरा	83° 37' 32.70" पू	21° 37' 27.60" उ
9	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	बलीजोरी	83° 40' 14.15" पू	21° 41' 0.21" उ
10	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	बंजीपली	83° 37' 21.91" पू	21° 38' 5.79" उ
11	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	भूतली	83° 39' 48.35" पू	21° 41' 18.27" उ
12	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	बिचाना	83° 33' 58.42" पू	21° 35' 28.79" उ
13	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	चौकरामल	83° 38' 4.57" पू	21° 39' 5.82" उ
14	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	चल	83° 37' 10.59" पू	21° 36' 27.06" उ
15	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	दरलीपली	83° 36' 26.89" पू	21° 39' 12.96" उ
16	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	गोउडपली	83° 37' 7.85" पू	21° 37' 11.03" उ
17	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	हटीखोजा	83° 36' 47.68" पू	21° 38' 59.47" उ
18	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	जुनानी	83° 34' 42.00" पू	21° 37' 29.14" उ
19	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	कारला	83° 34' 24.15" पू	21° 35' 52.81" उ
20	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	लखानपुर	83° 36' 40.27" पू	21° 38' 29.19" उ
21	बारगढ	अम्बाभोना	लखानपुर	तीलाईमल	83° 37' 24.90" पू	21° 39' 25.65" उ
22	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	बुंगपली	83° 35' 8.20" पू	21° 42' 6.31" उ
23	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	चॉदपली	83° 36' 35.02" पू	21° 39' 50.85" उ
24	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	चाहतादेई	83° 34' 26.07" पू	21° 42' 48.53" उ
25	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	गोबिंदपुर	83° 36' 32.94" पू	21° 42' 40.48" उ
26	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	जरीमुली	83° 34' 21.21" पू	21° 43' 23.90" उ

27	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	खोला	83° 38' 45.00" पू	21° 39' 3.14" उ
28	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	कुरूमकेल	83° 40' 23.23" पू	21° 40' 49.87" उ
29	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	लोनसारा	83° 33' 48.54" पू	21° 43' 5.89" उ
30	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	लेलेहर	83° 36' 36.52" पू	21° 40' 2.03" उ
31	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	लेथर	83° 35' 31.43" पू	21° 41' 30.91" उ
32	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	परूअभादी	83° 37' 40.58" पू	21° 40' 25.56" उ
33	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	रामखोल	83° 36' 23.29" पू	21° 41' 58.13" उ
34	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	रेंगालीपली	83° 37' 51.56" पू	21° 42' 0.91" उ
35	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	तमदई	83° 35' 15.37" पू	21° 43' 9.05" उ
36	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	उदहइपली	83° 36' 11.94" पू	21° 40' 43.41" उ
37	बारगढ	अम्बाभोना	उत्तम	उत्तम	83° 36' 46.47" पू	21° 40' 57.20" उ
38	बारगढ	अट्टाबीरा	मुलना	भालूदोही	83° 34' 25.57" पू	21° 36' 11.13" उ
39	बारगढ	अट्टाबीरा	अमलीपली	अमलीपली	83° 44' 38.02" पू	21° 27' 42.09" उ
40	बारगढ	अट्टाबीरा	अमलीपली	कुकेतीरा	83° 45' 45.83" पू	21° 26' 49.33" उ
41	बारगढ	अट्टाबीरा	अमलीपली	नउबातीमुडा	83° 44' 2.77" पू	21° 27' 4.97" उ
42	बारगढ	अट्टाबीरा	जांगेडा	धेमसा	83° 47' 36.48" पू	21° 28' 2.37" उ
43	बारगढ	अट्टाबीरा	जांगेडा	हल्दी	83° 46' 18.39" पू	21° 26' 57.49" उ
44	बारगढ	अट्टाबीरा	जांगेडा	जांगेडा	83° 47' 1.81" पू	21° 26' 35.23" उ
45	बारगढ	अट्टाबीरा	जांगेडा	सोधापली	83° 46' 37.73" पू	21° 27' 44.32" उ
46	बारगढ	अट्टाबीरा	खारमुडा	चुलधार	83° 40' 4.04" पू	21° 27' 36.43" उ
47	बारगढ	अट्टाबीरा	खारमुडा	गडंगडाला	83° 40' 25.13" पू	21° 29' 38.37" उ
48	बारगढ	अट्टाबीरा	खारमुडा	धनघाटी	83° 39' 55.82" पू	21° 28' 55.63" उ
49	बारगढ	अट्टाबीरा	खारमुडा	जूजगॉव	83° 40' 56.01" पू	21° 26' 47.80" उ
50	बारगढ	अट्टाबीरा	खारमुडा	जुनानी	83° 41' 24.72" पू	21° 29' 5.32" उ
51	बारगढ	अट्टाबीरा	खारमुडा	खारमुडा	83° 40' 53.41" पू	21° 26' 26.52" उ
52	बारगढ	अट्टाबीरा	खारमुडा	लम्बीपली	83° 39' 15.80" पू	21° 29' 50.88" उ
53	बारगढ	अट्टाबीरा	खारमुडा	रूनीपली	83° 40' 51.02" पू	21° 28' 41.20" उ
54	बारगढ	अट्टाबीरा	पथरारोगडा	पहरसारोगडा	83° 45' 44.09" पू	21° 27' 55.95" उ
55	बारगढ	अट्टाबीरा	पथरारोगडा	रेनगाली	83° 46' 51.31" पू	21° 28' 59.40" उ
56	बारगढ	अट्टाबीरा	तंगरपली	अमझार	83° 42' 24.85" पू	21° 29' 21.37" उ

57	बारगढ	अट्टाबीरा	तंगरपली	कनतल	83° 42' 0.33" पू	21° 27' 35.35" उ
58	बारगढ	अट्टाबीरा	तंगरपली	नुपारा	83° 42' 3.42" पू	21° 26' 5.31" उ
59	बारगढ	अट्टाबीरा	तंगरपली	रूझेनमल	83° 43' 9.28" पू	21° 28' 49.20" उ
60	बारगढ	अट्टाबीरा	तंगरपली	तंगरपली	83° 42' 40.08" पू	21° 27' 55.12" उ
61	बारगढ	अट्टाबीरा	कमगॉव	जमबूभाली	83° 37' 54.73" पू	21° 28' 17.05" उ
62	बारगढ	भातीली	मुलबा	हरीदीही	83° 34' 17.47" पू	21° 30' 8.41" उ
63	बारगढ	भातीली	मुलबा	राठीदीहो	83° 35' 24.52" पू	21° 30' 29.96" उ
64	बारगढ	भातीली	सुकरा	झारूपाडा	83° 33' 13.70" पू	21° 30' 54.12" उ
65	बारगढ	भातीली	सुकरा	रूपधारीदीही	83° 32' 59.54" पू	21° 31' 4.57" उ
66	बारगढ	भातीली	दुमलपली	दुमलपली	83° 31' 0.79" पू	21° 30' 44.35" उ
67	बारगढ	भातीली	दुमलपली	खारसल	83° 30' 23.06" पू	21° 31' 5.30" उ
68	बारगढ	भातीली	दुमलपली	मेनदाहपली	83° 30' 57.96" पू	21° 32' 5.89" उ
69	बारगढ	भातीली	कमगॉव	समरधरहा	83° 30' 38.79" पू	21° 33' 12.94" उ
70	बारगढ	भातीली	कमगॉव	कमगॉव	83° 37' 100.00" पू	21° 26' 27.66" उ
71	बारगढ	भातीली	कमगॉव	करलाजोरी	83° 37' 24.80" पू	21° 27' 49.22" उ
72	बारगढ	भातीली	मुलबार	खाजूरीय	83° 36' 28.31" पू	21° 31' 18.62" उ
73	बारगढ	भातीली	मुलबार	मुलबर	83° 35' 34.45" पू	21° 28' 23.97" उ
74	बारगढ	भातीली	मुलबार	रोउतपाडी	83° 36' 12.67" पू	21° 29' 28.34" उ
75	बारगढ	भातीली	मुलबार	सरधापली	83° 34' 49.53" पू	21° 30' 18.39" उ
76	बारगढ	भातीली	सुकुदा	बनजीपली	83° 33' 0.85" पू	21° 30' 0.84" उ
77	बारगढ	भातीली	सुकुदा	नलीचंउ	83° 31' 48.02" पू	21° 31' 31.05" उ
78	बारगढ	भातीली	सुकुदा	ताला	83° 32' 34.69" पू	21° 31' 23.36" उ

उपाबंध IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा-राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महयोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।

5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।

6. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश

8. महत्ता का कोई अन्य

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2015

S.O. 3333(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:-esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Debrigarh Wildlife Sanctuary, an important site for *in-situ* conservation of wildlife and its habitat in the state of Odisha is home to an immense array of biodiversity, over 40 species of mammals, 234 species of birds, 41 species of reptiles, 12 species of amphibians, 42 species of fishes, 39 species of odonates, 85 species of butterflies and 38 species of spiders and extremely important in the national context because of significant population of Schedule-I species like Leopard, Indian Gaur and Four-horned Antelope;

AND WHEREAS, the sanctuary is fringed on the east and north by the huge man-made water body of Hirakud reservoir, thus forming one of the select few sanctuaries in the state supporting both terrestrial and aquatic biodiversity; which further attracts a significant number of migratory waterfowl during winter; and also this Wildlife Sanctuary is home to over 250 plant species, many of which have ethno-botanical and medicinal value;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Debrigarh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 5 kilometres from the Debrigarh Wildlife Sanctuary in the State of Odisha as the Debrigarh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1) The extent of Eco-sensitive Zone is upto 5 kilometres from the boundary of the Debrigarh Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 34690 hectares and the boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(2) The map of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II**.

(3) The list of 78 villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their longitudes and latitudes at prominent points are appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of one year from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture; and

(ix) Odisha State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing places of worship, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 23, 27, 30 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance to the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to afforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Odisha in consultation with the Departments of Revenue and Forests.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) Construction of new hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Debrigarh Wildlife Sanctuary except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage. -** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under. –

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at sites identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is

prepared and approved by the Competent Authority in the State Government. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zones hall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities:		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities:		
9.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.

10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of the National Tiger Conservation Authority.
11.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
12.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
13.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
14.	Fencing of existing premises of hotels, lodges and resorts.	Regulated under applicable laws.
15.	Use of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid waste the existing regulations shall be followed.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.

26.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive zone using 100% imported wood stock.
27.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
28.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (c) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan.
C. Permitted Activities:		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Permitted under applicable laws.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Vegetative fencing	Permitted under applicable laws.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.,	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) The District Collector, Bargarh, Government of Odisha – Chairman;

(b) Superintendent of Police of Bargarh District - Member;

(c) One Representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Odisha – Member;

(d) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Odisha - Member;

(e) Divisional Forest Officer, Bargarh Division – Member;

(f) Regional Officer, Odisha State Pollution Control Board -Member; and

(g) Divisional Forest Officer, Hirakud Wildlife Division -Member Secretary;

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/39/2015-ESZ/RE]

Dr. T.CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-sensitive zone around Debrigarh Wildlife Sanctuary

The boundary of Eco-sensitive Zone starts from the right dyke of Hirakud Dam at a distance of about 10 kilometres from Dhodrokusum entry point of Debrigarh Sanctuary, (**01**= on the Dyke road). It then proceeds in a Northern direction to a distance of about 5.0 kilometres within the reservoir (**02**= approx 3.5 kilometres from Nehru Minar at about 295º bearing in NE direction). It further proceeds about 330º towards NW direction to a distance of about 3.25 kilometres (**03**= within reservoir), and then in the North direction up to about 2.75 kilometres (**04**= within reservoir) and then at about 330º towards NW direction up to about 4.25 kilometres (**05**= within the water body) within the reservoir.

It further proceeds within the Hirakud reservoir at about 335º towards NW to a distance of about 9.5 kilometres and reaches the other bank of the reservoir touching the village area of Rampaluga village(**06**= within Jharsuguda Dist.),

and then about 320º in NW direction to a distance of about 7.25 kilometres, touching the bank of the reservoir near Sagarpali village area (**07**= within the reservoir), and then about 290º in NW direction up to about 5.0 kilometres (**08**=within the reservoir) and then at about 320º in NW direction up to about 2.5 km where it reaches the bank of the reservoir in Jharsuguda district (**09**=on the bank of reservoir). Along the bank of the reservoir, it further proceeds at about 290º towards NW direction up to about 2.5 kilometres reaching Palsada village area (**10**= Palsada village of Jharsuguda Dist.), at about 250º towards SW direction up to about 4.0 kilometres reaching Kapilpur village area (**11**= Kapilpur village of Jharsuguda Dist.). From there, it crosses the reservoir at about 210º in SW direction up to about 3.0 kilometres and reaches Dungri area. (**12**=Dungri area of Bargarh Dist.) Then the line proceeds at about 185º in SW direction to a distance of about 3.0 kilometres and reaches the bank of the river Mahanadi beyond the reservoir area (**13**= Bank of River Mahanadi), at about 150º in SE direction up to about 2.0 kilometres and it reaches the Sauntiamal village near Dungri (**14** = Sauntimal Village) and then at about 200º in SW direction up to about 4.25 kilometres reaching Chandi Devi temple near Badmaal village along the meter gauge railway line of Dungri mines (**15**= Chandi devi temple, Badmaal village). Then it moves at about 220º in SW direction up to about 2.25 kilometres reaching near Dechuan RF along the meter gauge railway line of Dungri mines and Dechuan RF (**16**=near Dechuan RF). Then it proceeds at about 190º in SW direction up to about 1.5 kilometres and reaches Banjipali village area (**17**= Near Banjipali village), and then at 250º in SW direction up to 3.75 kilometres near meter gauge railway line of Dungri mines (**18**= Meter gauge railway line). Again it proceeds in SW direction at about 240º and stretches up to about 3.0 km reaching Sankara village (**19**= Sankara village). Then at about 200º it stretches up to about 3.5 km and reaches Ambabhona village area (**20**= Ambabhona village). Further it turns to SE direction at about 170º crossing the Khaprakhol village area for about 3.25 kilometres (**21**= Khaprakhol village) and reaches Pondkipali village after about 3.75 kilometres (**22**= Pondkipali village) from Khaprakhol village. Along the same SE direction it proceeds at about 130º up to about 4.25 kilometres and reaches Kelendapali village (**23**= Kelendapali village). Then it proceeds at about 100º up to about 7.0 kilometres and reaches Badmaal village near Mulbar (**24**= Badmaal Village). Then it goes about 150º up to about 6.5 kilometres and reaches near Tejagola village (**25**= Tejagola village area). From there, it goes about 120º up to about 2.75 kilometres and reaches bank of Bargarh main canal (**26**= Bargarh Canal bank). Then it changes its direction to east at about 90º and runs up to about 5.0 kilometres and reaches Bandaa village area (**27**= Bandaa village) and at about 40º in NE direction up to about 3.5 kilometres and reaches Kharmunda village chowk on Bargarh main canal road (**28**= Kharmunda chowk).

Further, the line turns in Eastern direction at about 95º and after about 8.25 kilometres reaches near Banhar village (**29**= Banhar village area). Then, it goes at about 60º and after about 3.5 kilometres reaches near Silat village (**30**= Silat village area). Finally in the same NE direction at about 20º, after running a distance of about 3.5 kilometres, the line reaches the starting point on Right dyke of Hirakud Dam (**01**= on the Dyke road).

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Debrigarh Wildlife Sanctuary, Odisha.

Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Debrigarh Wildlife Sanctuary, Odisha.

Sl No.	DISTRICT	BLOCK	GP	VILLAGE	Long(DMS)	Lat(DMS)
1	Bargarh	Ambabhona	Ambabhona	Ambabhona	83° 28' 28.02" E	21° 34' 41.69" N
2	Bargarh	Ambabhona	Ambabhona	Gangei	83° 29' 28.12" E	21° 34' 22.64" N
3	Bargarh	Ambabhona	Ambabhona	Khaliabahal	83° 31' 49.51" E	21° 35' 16.23" N
4	Bargarh	Ambabhona	Ambabhona	Mundkati	83° 30' 52.69" E	21° 34' 57.72" N
5	Bargarh	Ambabhona	Ambabhona	Santhara	83° 32' 35.14" E	21° 35' 23.63" N
6	Bargarh	Ambabhona	Banjipali	Dechuan	83° 33' 15.65" E	21° 37' 37.06" N
7	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Alekhpur	83° 36' 51.97" E	21° 37' 34.70" N
8	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Babebira	83° 37' 32.70" E	21° 37' 27.60" N
9	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Balijori	83° 40' 14.15" E	21° 41' 0.21" N
10	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Banjipali (L)	83° 37' 21.91" E	21° 38' 5.79" N
11	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Bhutuli	83° 39' 48.35" E	21° 41' 18.27" N
12	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Bichhana	83° 33' 58.42" E	21° 35' 28.79" N
13	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Chakramal	83° 38' 4.57" E	21° 39' 5.82" N
14	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Chal	83° 37' 10.59" E	21° 36' 27.06" N
15	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Darlipali	83° 36' 26.89" E	21° 39' 12.96" N
16	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Goudpali	83° 37' 7.85" E	21° 37' 11.03" N
17	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Hatikhoja	83° 36' 47.68" E	21° 38' 59.47" N
18	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Junani	83° 34' 42.00" E	21° 37' 29.14" N
19	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Karla	83° 34' 24.15" E	21° 35' 52.81" N
20	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Lakhanpur	83° 36' 40.27" E	21° 38' 29.19" N
21	Bargarh	Ambabhona	Lakhanpur	Tilaimal	83° 37' 24.90" E	21° 39' 25.65" N
22	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Bungapali	83° 35' 8.20" E	21° 42' 6.31" N
23	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Chandipali	83° 36' 35.02" E	21° 39' 50.85" N
24	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Chhatadei	83° 34' 26.07" E	21° 42' 48.53" N
25	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Gobindpur	83° 36' 32.94" E	21° 42' 40.48" N
26	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Jarimuli	83° 34' 21.21" E	21° 43' 23.90" N
27	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Khola	83° 38' 45.00" E	21° 39' 3.14" N
28	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Kurumkel	83° 40' 23.23" E	21° 40' 49.87" N
29	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Launsara	83° 33' 48.54" E	21° 43' 5.89" N
30	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Lelehar	83° 36' 36.52" E	21° 40' 2.03" N
31	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Lether	83° 35' 31.43" E	21° 41' 30.91" N
32	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Paruabhadi	83° 37' 40.58" E	21° 40' 25.56" N
33	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Ramkhol	83° 36' 23.29" E	21° 41' 58.13" N
34	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Rengalipali	83° 37' 51.56" E	21° 42' 0.91" N
35	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Tamdei	83° 35' 15.37" E	21° 43' 9.05" N
36	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Udheipali	83° 36' 11.94" E	21° 40' 43.41" N
37	Bargarh	Ambabhona	Uttam	Uttam	83° 36' 46.47" E	21° 40' 57.20" N

38	Bargarh	Atrtabira	Mulba	Bhaludihi	83° 34' 25.57" E	21° 36' 11.13" N
39	Bargarh	Attabira	Amlipali	Amlipali	83° 44' 38.02" E	21° 27' 42.09" N
40	Bargarh	Attabira	Amlipali	Kuketira	83° 45' 45.83" E	21° 26' 49.33" N
41	Bargarh	Attabira	Amripali	Nuabatimunda	83° 44' 2.77" E	21° 27' 4.97" N
42	Bargarh	Attabira	Janged	Dhemsa	83° 47' 36.48" E	21° 28' 2.37" N
43	Bargarh	Attabira	Janged	Haldi	83° 46' 18.39" E	21° 26' 57.49" N
44	Bargarh	Attabira	Janged	Janged	83° 47' 1.81" E	21° 26' 35.23" N
45	Bargarh	Attabira	Janged	Sodhapali	83° 46' 37.73" E	21° 27' 44.32" N
46	Bargarh	Attabira	Kharmunda	chuldhar	83° 40' 4.04" E	21° 27' 36.43" N
47	Bargarh	Attabira	Kharmunda	Gadgaddala	83° 40' 25.13" E	21° 29' 38.37" N
48	Bargarh	Attabira	Kharmunda	Ghanghati	83° 39' 55.82" E	21° 28' 55.63" N
49	Bargarh	Attabira	Kharmunda	Jujgaon	83° 40' 56.01" E	21° 26' 47.80" N
50	Bargarh	Attabira	Kharmunda	Junani	83° 41' 24.72" E	21° 29' 5.32" N
51	Bargarh	Attabira	Kharmunda	Kharmunda	83° 40' 53.41" E	21° 26' 26.52" N
52	Bargarh	Attabira	Kharmunda	Lambipali	83° 39' 15.80" E	21° 29' 50.88" N
53	Bargarh	Attabira	Kharmunda	Runipali	83° 40' 51.02" E	21° 28' 41.20" N
54	Bargarh	Attabira	Pathararigida	Paharsirigida	83° 45' 44.09" E	21° 27' 55.95" N
55	Bargarh	Attabira	Pathararigida	Rengali	83° 46' 51.31" E	21° 28' 59.40" N
56	Bargarh	Attabira	Tangarpali	Amjhar	83° 42' 24.85" E	21° 29' 21.37" N
57	Bargarh	Attabira	Tangarpali	Kantal	83° 42' 0.33" E	21° 27' 35.35" N
58	Bargarh	Attabira	Tangarpali	Nuapara	83° 42' 3.42" E	21° 26' 5.31" N
59	Bargarh	Attabira	Tangarpali	Rujhenmal	83° 43' 9.28" E	21° 28' 49.20" N
60	Bargarh	Attabira	Tangarpali	Tangarpali	83° 42' 40.08" E	21° 27' 55.12" N
61	Bargarh	Bhatili	Kamgaon	Jambubahali	83° 37' 54.73" E	21° 28' 17.05" N
62	Bargarh	Bhatili	Mulba	Haridihi	83° 34' 17.47" E	21° 30' 8.41" N
63	Bargarh	Bhatili	Mulba	Rathidihi	83° 35' 24.52" E	21° 30' 29.96" N
64	Bargarh	Bhatili	Sukura	Jharupada	83° 33' 13.70" E	21° 30' 54.12" N
65	Bargarh	Bhatili	Sukura	Rupdhardihi	83° 32' 59.54" E	21° 31' 4.57" N
66	Bargarh	Bhatli	Dumalpali	Dumalpali	83° 31' 0.79" E	21° 30' 44.35" N
67	Bargarh	Bhatli	Dumalpali	Kharsal	83° 30' 23.06" E	21° 31' 5.30" N
68	Bargarh	Bhatli	Dumalpali	Mendhapali	83° 30' 57.96" E	21° 32' 5.89" N
69	Bargarh	Bhatli	Dumalpali	Samardarha	83° 30' 38.79" E	21° 33' 12.94" N
70	Bargarh	Bhatli	Kamgaon	Kamgoan	83° 37' 100.00" E	21° 26' 27.66" N
71	Bargarh	Bhatli	Kamgaon	Karlajori	83° 37' 24.80" E	21° 27' 49.22" N
72	Bargarh	Bhatli	Mulbar	Khajuria	83° 36' 28.31" E	21° 31' 18.62" N
73	Bargarh	Bhatli	Mulbar	Mulbar	83° 35' 34.45" E	21° 28' 23.97" N
74	Bargarh	Bhatli	Mulbar	Routpada	83° 36' 12.67" E	21° 29' 28.34" N
75	Bargarh	Bhatli	Mulbar	Sardhapali	83° 34' 49.53" E	21° 30' 18.39" N
76	Bargarh	Bhatli	Sukuda	Banjipali	83° 33' 0.85" E	21° 30' 0.84" N
77	Bargarh	Bhatli	Sukuda	Nalichuan	83° 31' 48.02" E	21° 31' 31.05" N
78	Bargarh	Bhatli	Sukuda	Tala	83° 32' 34.69" E	21° 31' 23.36" N

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.